प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील संख्या 967 वर्ष 2003

अपीलकर्ता: देवशरण

बनाम

प्रत्यार्थी: छत्तीसगढ़ राज्य

और

दांडिक अपील संख्या 975 वर्ष 2003

अपीलकर्ता: तरण सिंह मराबी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य

बनाम

प्रतिवादी: छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28 अगस्त, 2008 को निर्णय सुनाए जाने हेतु सूचीबध्द करें

सही/-

टी. पी. शर्मा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आपराधिक अपील संख्या 967 वर्ष 2003

अपीलकर्ता: (जेल में) देवशरण, पिता – रामावतार सिंह, उम्र लगभग 23 वर्ष, व्यवसाय – कृषि, निवासी – ग्राम पोड़िया, थाना अम्बिकापुर, देहात, जिला – सरगुजा (छ.ग.)

बनाम

प्रतिवादी: छत्तीसगढ़ राज्य.

और

आपराधिक अपील संख्या 975 वर्ष 2003

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता: (जेल में) तरन सिंह मरावी, पिता – सुंदर सिंह मरावी, उम्र 33 वर्ष, निवासी – ग्राम पोड़ीपा, थाना अम्बिकापुर (ग्राम), जिला – सरगुजा (छ.ग.

बनाम

प्रतिवादी: छत्तीसगढ़ राज्य, माध्यम से थाना प्रभारी, थाना अम्बिकापुर (ग्राम)

उपस्थित:

श्री नीरज मेहता, अपीलकर्ता के अधिवक्ता, दांडिक अपील क्रमांक 967/2003 में।

श्री वी.के. पाण्डेय, अपीलकर्ता के अधिवक्ता, दांडिक अपील क्रमांक 975/2003 में।

श्री विनोद टेकाम, पैनल अधिवक्ता, राज्य/प्रतिवादी के लिए।

(दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत आपराधिक अपीलें)

एकल पीठ : माननीय श्री टी.पी. शर्मा, न्यायाधीश

निर्णय

(दिनांक 28 अगस्त, 2008 को पारित)

1. (दांडिक अपील क्र..967/2003, जो देवशरण द्वारा दायर की गई है, तथा (दांडिक अपील क्र. 975/2003, जो तरन सिंह मरावी द्वारा दायर की गई है, सत्र प्रकरण क्रमांक 156/2003 में दिनांक 7-8-2003 को पारित एक ही निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, अतः इन्हें इस समान निर्णय द्वारा निपटाया जा रहा है।

2. इन अपीलों को दिनांक 07-08-2003 को प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 156/2003 में दिए गए दोषसिद्धि के निर्णय एवं सजा के आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है, जिसके तहत माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त/अपीलकर्ताओं को दो अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर अभियोत्री का अपहरण, बलपूर्वक ले जाने एवं सामूहिक बलात्कार करने का दोषी पाते हुए, प्रत्येक को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 सहपठित धारा 34, धारा 366 सहपठित धारा 34 एवं धारा 376(2)(g) के अंतर्गत दोषसिद्ध किया, और उन्हें धारा 363 सहपठित धारा 34 एवं धारा 366 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत सात वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹1,000/- के अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा तथा धारा 376(2)(g) के अंतर्गत दस वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹2,000/- के अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा से दंडित किया।

3. अपीलित निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोत्री का अपहरण, बलपूर्वक ले जाने एवं सामूहिक बलात्कार करने के संबंध में कोई भी विश्वसनीय साक्ष्य न होने के बावजूद, विचारण न्यायालय ने उपर्युक्तानुसार अभियुक्तों एवं अन्य सह-अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. रजिस्ट्री द्वारा सूचित किया गया है कि सह-अभियुक्त कृष्णा सिंह एवं सुरेश मरकाम ने आक्षेपिता निर्णय के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है।

5. मैंने पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी हैं एवं आक्षेपिता निर्णय तथा विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया है।

6. अभियोजन का संक्षिप्त मामला यह है कि अभियोत्री (अभियोजन साक्षी-1), जिसकी आयु घटना के दिन लगभग 18 वर्ष थी, अपने ननिहाल, ग्राम पडिया, जिला अंबिकापुर में रह रही थी। दिनांक 03-03-2003 को रात्रि लगभग 10 बजे भोजन करने के बाद वह शौच हेतु घर के बाहर गई, उसी समय तरन गोंड अन्य 8-10 व्यक्तियों के साथ उसके पास आए और उसे ज़बरदस्ती सरना की ओर ले गए। जब उसने शोर मचाने की कोशिश की, तो उन्होंने उसका मुंह हाथ से बंद कर दिया। अपीलकर्ता एवं अन्य सभी सह-अभियुक्तों ने उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। वह बेहोश हो गई, जिसके बाद वे वहां से भाग गए। जब उसे होश आया, तो वह अपने घर की ओर जाने लगी, लेकिन रास्ता भटककर थोडी पहुंच गई। थक जाने के कारण वह गेहूं के खेत में रुक गई। दिनांक 05-03-2003 की सुबह वह गांव बिलारी पहुंची और एक बूढ़ी महिला के घर गई, जिसने उसे भोजन कराया। लगभग दोपहर 3 बजे उसके जीजा अर्जुन और एक मोहरलाल वहां आए, जिन्हें उसने पूरी घटना बताई और फिर वह अपने जीजा के साथ अपने मायके पहुंची, जहां उसने अपनी मां और पिता को घटना के बारे में बताया। वह थकी हुई थी और शरीर में दर्द हो रहा था। जब वह 05-03-2003 को अपने घर नहीं पहुंची, तो उसके जीजा अर्जुन ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसे प्रदर्श पी.-6 के रूप में दर्ज किया गया। इसके बाद, उसने 05-03-2003 को रात लगभग 9:20 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसे प्रदर्श पी.-1 के रूप में दर्ज किया गया। उसका पेटीकोट प्रदर्श पी.-2 के तहत जब्त किया गया। उसकी एवं उसकी मां की सहमति (प्रदर्श पी.-3) प्राप्त

करने के बाद उसे चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेजा गया (प्रदर्श पी.-4ए) और डॉ. श्रीमती शकुंतला खाल्को (अभियोजन साक्षी -7) द्वारा उसका परीक्षण किया गया, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-4 के रूप में दर्ज की गई।

7. डॉ. श्रीमती शकुंतला खाल्को (अभियोजन साक्षी -7) ने देखा कि दाहिने कुहनी के जोड़ से लगभग 1 सेमी ऊपर, दाहिनी कुहनी के पीछे की ओर लगभग 1 सेमी × 1 सेमी आकार का एक खरोंच का निशान था और बाईं कुहनी के जोड़ से लगभग 1 सेमी अंदरूनी (मेडियल) भाग में, पीछे की ओर लगभग 1 सेमी × 1 सेमी आकार का एक खरोंच का निशान था। आंतरिक परीक्षण में, दाहिनी लैबिया मैजोरा पर, फोरचेट से लगभग 2 सेमी ऊपर, 1 सेमी × 1 सेमी का एक रैखिक खरोंच का निशान पाया गया। हाइमेन पुराना फटा हुआ था। हाइमेन पर 10 बजे की स्थिति पर लगभग 1 मिमी × 1 मिमी का एक फटाव पाया गया। पश्च योनि भित्ति में 4 सेमी लंबा, 1 सेमी चौड़ा और 1 सेमी गहरा एक बड़ा फटाव था। कोई सक्रिय रक्तस्राव नहीं था, परंतु स्पर्श करने पर रक्तस्राव होता था। चोटें किसी कठोर एवं कुंद वस्तु से हुई थीं। स्पर्श करने पर रक्तस्राव और कोमलता (दर्द) होती थी। दो उंगलियां प्रवेश कर सकती थीं। कोमलता (दर्द) मौजूद थी। योनि स्मीयर की स्लाइड तैयार कर रासायनिक परीक्षण हेतु भेजी गई। डॉक्टर ने यह राय दी कि अभियोत्री के साथ ज़बरदस्ती यौन संबंध बनाए जाने की संभावना है।

8. अभियोत्री को परीक्षण हेतु अस्पताल में भर्ती किया गया। उसका पेटीकोट डॉ. श्रीमती शकुंतला खाल्को (अभियोजन साक्षी -7) द्वारा प्रदर्श पी.-5 के तहत जांचा गया, जिसमें भूरे रंग के दाग पाए गए, जिसे रासायनिक परीक्षण हेतु सील कर दिया गया। जांच अधिकारी द्वारा स्थल नक्शा प्रदर्श पी.-8 के तहत तैयार किया गया। पटवारी द्वारा स्थल नक्शा प्रदर्श पी.-9 के तहत तैयार किया गया। अभियोजिका के निजी अंगों की जांच के बाद तैयार की गई सील पैकेट की स्लाइड्स प्रदर्श पी.-10 के तहत जब्त की गईं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अभियुक्त/अपीलकर्ता तरन सिंह मरावी को चिकित्सकीय परीक्षण हेतु प्रदर्श पी.-20 के तहत भेजा गया, जिसका परीक्षण डॉक्टर ने प्रदर्श पी.-20ए के तहत किया और उसे यौन संबंध बनाने में सक्षम पाया। अभियुक्त/अपीलकर्ता देवशरण का भी परीक्षण प्रदर्श.पी.-18ए के तहत किया गया और उसे भी यौन संबंध बनाने में सक्षम पाया गया। अन्य अभियुक्तों का भी डॉक्टर द्वारा परीक्षण किया गया और उन्हें भी यौन संबंध बनाने के योग्य पाया गया। अभियुक्त सुरेश राम मरकाम, देव कुमार सिंह, महिपाल सिंह, तरन सिंह एवं कृष्णा सिंह के अंतर्वस्त्र क्रमशः जब्ती पंचनामे प्रदर्श पी.-11, 12, 13, 14 एवं 15 के तहत जब्त किए गए और उनके कपड़ों की डॉक्टर द्वारा जांच की गई। प्राथमिकी की प्रति प्रदर्श पी.-28 के तहत भेजी गई। अभियुक्तों को प्रदर्श पी.-29 से प्रदर्श पी.-34 के तहत गिरफ्तार किया गया। जब्त किए गए सामानों को रासायनिक परीक्षण हेतु न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर को प्रदर्श पी.-35 के तहत भेजा गया।

10. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत बयान दर्ज किए गए और जांच के पश्चात आरोप पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबिकापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायाधीश की न्यायालय में विचारण हेतु भेज दिया। अंबिकापुर, जहां से माननीय प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर ने मामले को विचारण हेतु स्थानांतरित होकर प्राप्त किया।

11. अभियुक्तों का अपराध सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने नौ गवाहों का परीक्षण किया। वर्तमान अपीलकर्ताओं एवं अन्य सह-अभियुक्तों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध पाए गए तथ्यों से इंकार किया, स्वयं को निर्दोष बताया और झूठा फंसाए

जाने का दावा किया। बचाव पक्ष ने भी अपने समर्थन में गवाह प्रस्तुत किए, जिनके नाम संतोष (बचाव पक्ष -1) एवं जलधारी राम (बचाव पक्ष -2) हैं। संतोष (बचाव पक्ष -1), जो अभियोत्री का पति है, ने अपने साक्ष्य में कहा कि उसकी पत्नी पिछले 4-5 वर्षों से अपने ननिहाल में रह रही थी और 03-03-2003 को वह उसके साथ नहीं थी। जलधारी राम (बचाव पक्ष -2) ने अपने साक्ष्य में कहा कि वह सभी अभियुक्तों को जानता है, परंतु यह नहीं जानता कि अभियुक्तों के विरुद्ध किसने रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने यह भी कहा कि अर्जुन उसका प्रतिद्वंद्वी है।

12. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं एवं अन्य अभियुक्तों को उपर्युक्तानुसार दोषसिद्ध कर दंडित किया।

13. वर्तमान अपीलकर्ताओं, अर्थात् देवशरण एवं तरन सिंह मरावी की ओर से यह तर्क दिया गया कि अभियोत्री ने अपीलकर्ता देवशरण का नाम नहीं लिया है, वह घटना से पूर्व देवशरण को नहीं जानती थी और अभियुक्तों की पहचान के लिए कोई परीक्षण परेड नहीं कराई गई। प्राथमिकी घटना के दो दिन बाद दर्ज कराई गई और इस विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अभियोत्री कुछ समय एक वृद्ध महिला के घर में रही, किंतु अभियोजन पक्ष ने उस वृद्ध महिला को गवाह के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। उसके निजी अंगों पर यौन संबंध का कोई स्पष्ट चिन्ह नहीं पाया गया। गवाहों के बयान विरोधाभासों एवं चूक से भरे हुए हैं और भरोसेमंद नहीं हैं, उनका साक्ष्य विश्वास उत्पन्न नहीं करता।

14. अपीलकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता ने नोरावन नारन बनाम राजस्थान राज्य[1] मामले का हवाला दिया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि अभियोत्री की गवाही में बलात्कार सिद्ध करने के संबंध में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं — जैसे कि कई गांवों से गुजरते समय ट्रैक्टर से न उतरना, ट्रैक्टर में खुशी-खुशी बैठना, शरीर या निजी अंगों पर चोट का अभाव, जिस महिला के घर उसने उस दिन रात बिताई उसका परीक्षण न होना — ये सभी महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं जो उसकी गवाही को अविश्वसनीय बनाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा संजय पाठक बनाम छत्तीसगढ़ राज्य[2] मामले का भी हवाला दिया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने यह माना है कि सामूहिक बलात्कार के मामले में शरीर या निजी अंगों पर चोट का अभाव, तथा उसके बाद डंडे से पिटाई और घसीटे जाने का विवरण, साथ ही किसी एक अपीलकर्ता के साथ यौन संबंध होने की स्वीकृति, सामूहिक बलात्कार की घटना को नासाखित कर देती है।

16. मदन लाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य[3] मामले का भी अवलंब लिया गया है, जिसमें यह माना गया है कि बार-बार यौन संबंध बनाए जाने की कहानी सहमति का संकेत देती है।

17. रामदास एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य[4] मामले में का भी अवलंब लिया गया है, जिसमें यह माना गया है कि केवल प्राथमिकी दर्ज कराने में देरी होना, अभियोजन के मामले के लिए आवश्यक रूप से घातक नहीं है। किंतु यह तथ्य कि रिपोर्ट देर से दर्ज कराई गई, एक प्रासंगिक तथ्य है, जिस पर न्यायालय को ध्यान देना चाहिए, परंतु इसके लिए उचित स्पष्टीकरण आवश्यक है। यह भी कहा गया है कि "बलात्कार के मामले में दोषसिद्धि केवल अभियोजिका की गवाही के आधार पर की जा सकती है, लेकिन

---

[1] 2007 Cr.L.J.2733

[2] 2006(1)C.G.L.J. 375

[3] 2007(1) C.G.L.J.

[4] AIR 2007 SC 155

ऐसा तभी किया जा सकता है जब न्यायालय को उसकी गवाही की सत्यता पर पूरा विश्वास हो।" अभियोजिका और ऐसे कोई परिस्थितिजन्य तथ्य न हों जो उसकी सत्यता पर संदेह की छाया डालें। यदि अभियोत्री का साक्ष्य ऐसे स्तर का है कि केवल उसकी गवाही के आधार पर दोषसिद्धि का आदेश बनाए रखा जा सके, तभी ऐसा किया जा सकता है। वर्तमान मामले में हमें उसका साक्ष्य उस स्तर का नहीं लगता।" अभियोजिका ऐसी उच्च कोटि की साक्षी प्रतीत नहीं होती, जिसकी अकेली गवाही के आधार पर दोषसिद्धि की जा सके, इसलिए अभियुक्त संदेह का लाभ पाने के अधिकारी हैं।

18. अपीलकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता ने प्रदीप कुमार बनाम यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, चंडीगढ़[5] मामले में का भी अवलंब लिया किया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने माना है कि सामूहिक बलात्कार के मामले में केवल अपीलकर्ता-अभियुक्त की घटना स्थल पर मौजूदगी यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि उसने अन्य अभियुक्तों के साथ अभियोजिका पर बलात्कार करने के लिए पूर्व में कोई आपसी समझौता, मानसिक तैयारी या योजना बनाई थी। इसलिए अपीलकर्ता-अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का अधिकारी है।

19. अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने दिलीप एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य[6] मामले में का भी अवलंब लिया किया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने माना कि अभियोत्री द्वारा घटना का वर्णन — जिसे उसने अपनी मौसी को बताया था — उसके कथन से तथा चिकित्सकीय साक्ष्य और न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से विरोधाभासी है। अभियोत्री के कथन की सत्यता संदिग्ध होने पर उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता और अभियुक्त बरी किए जाने के अधिकारी हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

20. अपीलकर्ताओं को वर्तमान अपराध से जोड़ने के लिए, अभियोजन पक्ष ने अभियोत्री के अपहरण एवं बलपूर्वक ले जाने तथा अपीलकर्ताओं द्वारा अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर यौन संबंध बनाने से संबंधित प्रत्यक्षदर्शी, दस्तावेजी एवं चिकित्सकीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। अभियुक्त, जिन्होंने कोई अपील प्रस्तुत नहीं की, ने अभियोत्री की इच्छा और सहमति के विरुद्ध यह कृत्य किया।

21. पक्षकारों की दलीलों की विवेचना करने के लिए, मैंने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया। अभियोत्री (अभिजन साक्षी-1) एक विवाहित महिला है और उसकी आयु न्यायालय द्वारा उसकी गवाही की तारीख 07-07-2003 को 18 वर्ष निर्धारित की गई है। घटना की तारीख 03-03-2003 थी। अभियोजन पक्ष ने इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि अपराध के दिन उसकी आयु 18 वर्ष से कम थी और साथ ही 16 वर्ष से भी कम थी। अभियोत्री विवाहित महिला है और जब वह कुछ समय अपने पति के साथ रही, तो वह यौन संबंध की अभ्यस्त थी। उसने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना के दिन रात लगभग 8-9 बजे, जब वह ग्राम पडीपा स्थित अपने घर से शौच हेतु आंगन में गई, तभी आंगन में छिपे हुए अभियुक्त अचानक आए और उसे पकड़ लिया। सह-अभियुक्त सुरेश ने उसका मुंह दबा दिया और सभी अभियुक्त उसे सरना दंड ले गए, जहां उन्होंने उसे जमीन पर पटक दिया। अपीलकर्ता तरन ने उसका अंडरवियर फाड़ा और उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद सह-अभियुक्त सुरेश और कृष्णा ने एक-एक करके उसके साथ बलात्कार किया और अपीलकर्ता देवशरण ने भी बलात्कार किया। इसके बाद सह-अभियुक्त महिपाल और देवकुमार ने उसके साथ बलात्कार किया। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि अपीलकर्ता एवं सह-अभियुक्तों ने एक-एक करके उसके साथ बलात्कार किया। अपराध के समय अन्य

[5] AIR 2006 SC 2992

[6] AIR 2001 SC 3049

सह-अभियुक्त उसके हाथ पकड़कर रखते थे ताकि यौन संबंध स्थापित करने में सुविधा हो सके। अंत में वह बेहोश हो गई। जब होश आया तो वह गेहूं के खेत में थी। उसके शरीर में दर्द था। वह गेहूं के खेत से निकलकर ग्राम बिलारी पहुंची, जहां आस-पास के लोगों ने उससे पूछताछ की, जिस पर वह रोने लगी और लोगों ने कहा कि वह भूखी है, इसलिए रो रही है। एक वृद्ध महिला उसे अपने घर ले गई और उसे भोजन कराया। उसके मोहर्लाल ने...गाँव पदीपा, गाँव बिलारी में अपने रिश्तेदारों को बुलाने गया था, उसने सुना कि गाँव पदीपा से एक पागल सी महिला आई है, तब उसने कहा कि उसके गाँव से एक महिला लापता है। इसके बाद वह उसके पास आया। कुछ समय बाद उसका जीजा अर्जुन, जोसु के साथ वहाँ आया। उसने घटना अपने जीजा अर्जुन को बताई और वह उसके साथ गाँव पदीपा चली गई, जहाँ उसने अपनी माँ और पिता को घटना सुनाई। अंततः उसने रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई। उसका पेटीकोट (प्रदर्श पी -2) के तहत ज़ब्त किया गया। उसने अपने चिकित्सीय परीक्षण के लिए सहमति दी (प्रदर्श.पी-3)।

22. अर्जुन (अभियोजन साक्षी-2), जो अभियोत्री का जीजा है, ने अपने बयान में कहा कि घटना के दिन लगभग रात 1 बजे उसकी सास रामबाई उसके पास आई और बताया कि कुछ लोग अभियोत्री को ले गए हैं। उसने अभियोत्री की खोज की, पर वह नहीं मिली। वह मोहरलाल के साथ अम्बिकापुर थाना गया और अभियोत्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जब वे अपने गाँव लौट रहे थे, तब दूसरे मोहरलाल ने उन्हें बताया कि बिलारी में एक महिला मौजूद है। वे बिलारी गए जहाँ उन्होंने अभियोत्री को देखा, फिर उसे गाँव पदीपा ले आए। अभियोत्री ने उसे बताया कि आरोपी तरण, सुरेश, कृष्णा, महिपाल, देवशरण और देवकुमार ने उसके साथ बलात्कार किया। पहले वे उसे जंगल में ले गए और बलात्कार किया। उसने पुलिस को टेलीफोन से सूचना दी और अंततः अभियोत्री को थाने ले गया, जहाँ उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने अभियोत्री के पेटीकोट की ज़ब्ती (प्रदर्श पी -2) का समर्थन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. श्रीमती रामबाई (अभियोजन साक्षी-3), जो अभियोत्री की माँ हैं, ने अपने बयान में कहा कि घटना के समय उनकी बेटी घर से शौच के लिए बाहर गई थी, तभी कुछ लोग उसे ले गए और वह उस समय रो रही थी। अभियोत्री वापस घर नहीं आई, तब उसने अपने दामाद अर्जुन को सूचना दी और उसने अभियोत्री की खोज की। अभियोत्री लगभग 1 दिन बाद वापस आई और उसने बताया कि अपीलकर्ता और अन्य सह-अभियुक्त उसे लेकर गए थे। वन में ले जाकर एक-एक कर उसके साथ बलात्कार किया। उसने आगे यह भी कहा कि वह और उसका पति बहुत गरीब हैं और भिक्षा पर जीविकोपार्जन करते हैं।

24. मोहरियल (अभियोजन साक्षी -4) ने अर्जुन (अभियोजन साक्षी -2) के बयान का समर्थन किया है। एक अन्य मोहरलाल, अर्थात् महारलाल पनिका (अभियोजन साक्षी -5) ने अपने बयान में कहा कि जब वह बिलारी में था, तब उसे पता चला कि अभियोत्री गाँव बिलारी में है, तब उसने अर्जुन को इसकी जानकारी दी। अभियोत्री की पेटीकोट की जब्ती (जब्ती पंचनामा) प्रदर्श पी-2 का समर्थन समयलाल (अभियोजन साक्षी -6) ने किया।

25. डॉ. श्रीमती सिजाकुंतला जाल्को (अभियोजन साक्षी -7) ने 5-3-2003 को अभियोत्री का परीक्षण किया और उपर्युक्त चोटें पाई। उन्होंने यह राय दी कि अभियोत्री के साथ जबरन संभोग किया गया है। योनि से शुक्राणु के दो स्लाइड तैयार किए गए, जिन्हें रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया और अभियोत्री को निरीक्षण एवं उपचार हेतु भर्ती किया गया। उन्होंने अभियोत्री की मरून रंग की पेटीकोट का भी परीक्षण किया और उसे रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा।

26. डॉ. एम.के. जैन (अभियोजन साक्षी -9) ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने सह-अभियुक्तगण तथा अभियुक्त तेरन और देवशरण का परीक्षण प्रदर्श पी-16A से प्रदर्श पी-21A के तहत किया और उन्हें

संभोग करने में सक्षम पाया। उन्होंने अभियुक्तों के अंतःवस्त्रों का भी परीक्षण प्रदर्श पी-22A से प्रदर्श पी-27A के तहत किया।

27. एम.एस. चंदेल (अभियोजन साक्षी -8), सहायक उप निरीक्षक, ने अपने बयान में अभियोजिका के लापता होने से संबंधित जांच का विवरण, रोज़नामचा संहा प्रदर्श पी-6, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1, अभियोजिका और अभियुक्तों का चिकित्सीय परीक्षण, वस्तुओं की जब्ती, अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा गवाहों के बयान के बारे में स्पष्ट रूप से बताया। उन्होंने दस्तावेज़ प्रदर्श पी-1 से प्रदर्श पी-35 तक को प्रमाणित किया।

28. अभियोत्री (अभियोजन साक्षी -1) ने इस सुझाव को अस्वीकार किया कि उसने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। उसने अपने प्रतियरीक्षण के पैरा 13 में यह स्वीकार किया कि उसने बयान में कहा है कि (भाग 'A' से 'A') प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 में यह लिखा है कि “तारन व उसके साथियों को देखकर पहचान लूँगी”, परंतु उसने यह बात नकार दी कि घटना की तारीख को वह अपीलकर्ता देवशरण को नहीं जानती थी। उसने आगे यह स्वीकार किया कि घटना के समय उसने जो पेटीकोट पहन रखा था, उसे जब्त किया गया, लेकिन इस सुझाव से इनकार किया कि उसने रिपोर्ट अपने देवर अर्जुन और भाई मोहरलाल के कहने पर दर्ज कराई थी। उसने विशेष रूप से अपने जिरह के पैरा 18 में कहा कि किसी ने भी उसे आरोपियों के नाम नहीं बताए थे, बल्कि उसने स्वयं उन्हें देखा है और वह अपीलकर्ताओं तथा अन्य सह-आरोपियों को जानती है। अपीलकर्ता तारन का घर उसके घर से केवल 200 मीटर की दूरी पर है और अपीलकर्ता देवशरण का घर तोरण के घर के पास है। उसने इस सुझाव को स्वीकार किया कि जब तारन उससे बलात्कार कर रहा था, तब उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि अपीलकर्ता तारन ने उसे जबरदस्ती नहीं ले जाया था। उसने आगे इस सुझाव से भी इनकार किया कि वह अपनी सहमति से अपीलकर्ता तोरण के साथ गई थी। उसने कहा कि जब तोरण उसे ले जा रहा था, तब उसने शोर मचाया था। उसने यह भी नकारा कि वह अपने देवर के कहने पर तारन को झूठा फंसा रही है। प्रतियरीक्षण में उसने कहा कि छह व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किए जाने के बाद वह मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद परेशान थी और उसकी स्थिति ठीक नहीं थी।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. बचाव पक्ष ने इस गवाह से लंबी प्रतियरीक्षण की, लेकिन उसकी गवाही को अविश्वसनीय बनाने के लिए कुछ भी हासिल नहीं कर सका। वह एक ग्रामीण और भिखारिन महिला है, लेकिन उसने अपने मुख्य बयान और प्रतियरीक्षण दोनों में सभी आरोपियों के खिलाफ घटना का पूरा विवरण स्पष्ट रूप से बताया है।

30. अर्जुन (अभियोजन साक्षी-2) ने अपने बयान में स्वीकार किया कि वह भा.द.स. की धारा 376 के अपराध में आरोपी है और शंबाई ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन वह तारन और शंबाई के बीच के रिश्ते को नहीं जानता। उसने यह नकार दिया कि यह सुझाव कि अभियोगिनी ने यह रिपोर्ट अरजुन के कहने पर, तरण से बदला लेने के उद्देश्य से दर्ज कराई है, उसने अस्वीकार कर दिया।

31. बचाव पक्ष ने अरजुन (अभियोजन साक्षी -2), श्रीमती रामबाई (अभियोजन साक्षी -3), मोहरलाल (अभियोजन साक्षी -4) और मोहरलाल पनिका (अभियोजन साक्षी -5) से जिरह की, लेकिन उनके बयानों को कमजोर करने के लिए कोई ठोस बात उजागर नहीं कर सका। उनके बयानों में कुछ मामूली अंतर है, जो स्वाभाविक है। अभियोत्री (अभियोजन साक्षी -1) का बयान महत्वपूर्ण है। उसने अपने मुख्य परीक्षण और जिरह में स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियुक्तगण और अन्य सह-अभियुक्तों ने उसे उसके आँगन से जबरन पकड़कर सरना डांड ले जाकर उसकी इच्छा और सहमति के विरुद्ध बलात्कार किया। डॉ. श्रीमती

शकुंतला ज़ैक्सो (अभियोजन साक्षी -7) ने उसका परीक्षण किया, जिन्होंने उसकी कोहनी के जोड़ के पीछे और गुप्तांगों पर चोट के निशान पाए, जो अभियोगिनी के साथ जबरन संभोग किए जाने का संकेत देते हैं।

32. घटना के एक दिन बाद एफ.आई.आर. दर्ज की गई। अभियोत्री (अभियोजन साक्षी -1) के बयान से पता चलता है कि 3-3-2003 की रात अभियुक्तगण और अन्य सह-अभियुक्तों ने उसके साथ बलात्कार किया, 4-3-2003 को वह अपने गाँव पहुँची और अगले दिन यानी 5-3-2003 को उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। इस अवधि में वह शारीरिक और मानसिक रूप से व्यथित और अस्वस्थ थी। 5-3-2003 को अभियोगिनी के देवर अरजुन (अभियोजन साक्षी -2) ने अभियोत्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट एक्स.पी.-6 के तहत दर्ज कराई। अभियुक्त तरण ने यह बचाव लेने की कोशिश की कि अभियोत्री उसकी सहमति से उसके साथ गई थी, लेकिन अभियोत्री ने अपनी जिरह के पैरा 18 में इस सुझाव को नकार दिया। अभियुक्त देवशरण ने यह बचाव लेने की कोशिश की कि घटना से पहले अभियोगिनी उसे नहीं जानती थी, लेकिन अभियोत्री ने अपनी प्रतियरिक्षण के पैरा 18 में स्पष्ट रूप से कहा कि वह दोनों अभियुक्तों (वर्तमान मामले में) को जानती है, वे एक ही मोहल्ले के निवासी हैं और उनके घर उसके घर से 200 मीटर की दूरी पर उसी गाँव में स्थित हैं। उसने एफ.आई.आर. में कहा है कि वह उसने यह भी कहा कि वह तारण और उसके साथियों की पहचान कर लेगी। उसने आगे एफ.आई.आर. में बताया कि उसे यह नहीं पता था कि कोई आरोपी व्यक्ति या अज्ञात व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया है। उसने यह भी कहा कि आरोपी तारण अपने 8-10 साथियों के साथ मिलकर अपराध में शामिल था। उसने आगे कहा कि रिपोर्ट दर्ज कराने के समय और मेडिकल जाँच के समय भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी कारण उसे निरीक्षण और इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह दर्शाता है कि रिपोर्ट दर्ज कराने के समय, घटना के तुरंत बाद और यहाँ तक कि मेडिकल जाँच के समय भी उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। यही कारण एक दिन की देरी से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पर्याप्त है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

33. डॉक्टर श्रीमती शकुंतला ज़ाल्क्सो (अभियोजन साक्षी-7) ने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि वह केवल एम.बी.बी.एस. हैं और किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने केवल अनुमान के आधार पर कहा कि अभियोत्री के साथ बलपूर्वक संभोग किया गया, लेकिन यह नहीं बताया कि कितने लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। यहाँ तक कि उनके लिए यह कहना भी संभव नहीं था कि कितने व्यक्तियों ने अभियोत्री के साथ बलपूर्वक संभोग किया।

34. इस मामले में, आरोपी तारण ने सहमति का बचाव लिया, लेकिन अभियोजिका ने इसे नकार दिया। अभियोत्री के निजी अंगों और शरीर पर पाए गए चोट के निशान भी इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि वह सहमति देने वाली पक्ष नहीं थी। उसने घटना की जानकारी पहले अपने जीजा को दी और उसके बाद अपनी माँ और पिता को बताई। यह तथ्य भी सहमति की कहानी को अस्वीकार करता है। अभियोत्री के बयान को अर्जुन (बचाव पक्ष-2), श्रीमती रामबाई (अभियोजन साक्षी -3), मोहरलाल (अभियोजन साक्षी -4) और मोहरलाल पनिका (अभियोजन साक्षी -5) के बयानों से पर्याप्त रूप से समर्थन मिलता है। उसका बयान स्वाभाविक प्रतीत होता है, विश्वास जगाता है और भरोसेमंद है।

35. अभियुक्तगण एवं अन्य सहअभियुक्तों ने अभियोत्री को उसके घर से अपहरण कर लिया, उस समय वह अपने माता-पिता के संरक्षण में थी और उन्हीं के साथ रह रही थी। इसके बाद अभियुक्तगण एवं अन्य आरोपियों ने उसके साथ एक-एक कर बलपूर्वक शारीरिक संबंध स्थापित किया। आरोपियों ने यह स्वीकार नहीं किया या कहा नहीं कि उसने सहमति दी थी। अभियोत्री ने स्पष्ट रूप से सहमति के सुझाव का खंडन किया और कहा कि अभियुक्तगण ने उसके साथ बलपूर्वक संभोग किया। अभियोजन द्वारा दर्शाई गई परिस्थितियां भी इस तथ्य की ओर संकेत करती हैं कि अभियोत्री सहमति देने वाली पक्षकार नहीं थी।

सहमति के मुद्दे पर उसका बयान विश्वास जगाने वाला है। यह देखते हुए कि उसने यौन संबंध के लिए सहमति नहीं दी, न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114A के प्रावधानों के अनुसार यह मान लेगा कि उसने सहमति नहीं दी।

36. अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद, माननीय विचारण न्यायालय ने उपरोक्तानुसार अभियुक्तगण एवं अन्य दो अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर दंडित किया।

37. बचाव पक्ष ने संतोष (बचाव पक्ष -1), जो अभियोत्री का पति है, एवं जलधरी राम (बचाव पक्ष -2) को साक्ष्य में प्रस्तुत किया। उन्होंने अभियोजिका के विरुद्ध अथवा अपराध के संबंध में कोई विशेष तथ्य प्रस्तुत नहीं किया।

38. अभियोजन ने ग्राम बिलारी की उस वृद्ध महिला का साक्ष्य में परीक्षण नहीं किया, जिसने अभियोत्री को ग्राम बिलारी में भोजन उपलब्ध कराया था। अभियोत्री (अभियोजन साक्षी-1) के बयान के अनुसार, अभियोत्री ने उस वृद्ध महिला को घटना के बारे में कुछ नहीं बताया था, वृद्ध महिला ने केवल भोजन दिया था और वह कोई महत्वपूर्ण साक्षी नहीं थी। उसका परीक्षण न होना अभियोजन के लिए घातक नहीं है।

39. अभियोत्री के साक्ष्य को मुख्य बिंदुओं पर पुष्टिकरण प्राप्त है। प्रत्यक्षदर्शी एवं चिकित्सकीय साक्ष्य पर्याप्त हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभियुक्तगण एवं अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों ने उसे उसके माता-पिता के संरक्षण से उनकी सहमति के बिना तथा अभियोत्री की सहमति के बिना अपहरण किया और एक-एक करके उससे उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाया। यह इस निष्कर्ष के लिए पर्याप्त है कि अभियुक्तगण एवं अन्य सह-अभियुक्तों ने अभियोत्री का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। अभियोत्री के कथन का स्वतंत्र स्रोत से पुष्टिकरण कोई विधिक नियम नहीं है, बल्कि यह विवेक का नियम है—और हर मामले में पुष्टिकरण आवश्यक नहीं होता, इसे अन्य परिस्थितियों से भी अनुमानित किया जा सकता है। अभियुक्तों का दोषसिद्धि कानून के तहत टिकाऊ है और यह ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित है। विचरम न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते समय कोई अवैधानिकता या त्रुटि नहीं की है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

40. दंड के प्रश्न के संबंध में, अभियोत्री एक विवाहित महिला है, वह एक ग्रामीण एवं भिक्षुक महिला है, जिसका अभियुक्तगण एवं अन्य सह-अभियुक्तों ने अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। अभियुक्तगण ने उसकी गरीबी और असहायता का लाभ उठाते हुए उक्त अपराध को अंजाम दिया। उन्हें किसी प्रकार की सहानुभूति का पात्र नहीं माना जा सकता और उन पर लगाए गए दंड उचित एवं न्यायोचित हैं।

41. रामदास (पूर्वोक्त) के मामले में, प्राथमिकी विलंब से दर्ज की गई थी और उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि विलंब मात्र अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होता। आरोपी को इस आधार पर बरी कर दिया गया कि, प्रथम, रिपोर्ट गैर-संज्ञेय अपराध से संबंधित दर्ज की गई थी, तत्पश्चात बलात्कार के अपराध के संबंध में दूसरी रिपोर्ट दर्ज की गई, जिससे इसकी सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है। वर्तमान मामले में, पीड़िता ने घटना के एक दिन बाद प्राथमिकी दर्ज कराई, किंतु उसके बयान और अन्य परिस्थितियाँ विलंब को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। उपर्युक्त उद्धृत मामले के तथ्य और वर्तमान मामले के तथ्य प्रकृति में भिन्न हैं।

42. प्रदीप कुमार (पूर्वोक्त) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि बलात्कार एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया था, किंतु सह-आरोपी एक-एक करके घटना स्थल पर पहुँचे और अपीलकर्ता की साझा मंशा के अभाव में अपीलकर्ता को सामूहिक बलात्कार का दोषी नहीं ठहराया गया। वर्तमान मामले

में, अपीलकर्ता अन्य सह-आरोपियों के साथ एक साथ पीड़िता के पास पहुँचे, उसे जंगल में ले जाकर उसका अपहरण किया और एक-एक करके बलात्कार किया। यह दर्शाता है कि सभी आरोपियों ने बलात्कार करने में साझा मंशा रखी। उपर्युक्त उद्धृत मामले के तथ्य और वर्तमान मामले के तथ्य प्रकृति में भिन्न हैं।

43. दिलीप (पूर्वोक्त) के मामले में, पीड़िता ने घटना का उल्लेख अपनी मौसी से किया, लेकिन मौसी ने पीड़िता के बयान का समर्थन नहीं किया और महत्वपूर्ण भाग में उसका खंडन किया, साथ ही चिकित्सा साक्ष्य और रासायनिक रिपोर्ट से भी उसका खंडन हुआ। वर्तमान मामले में, पीड़िता के बयान का समर्थन चिकित्सा साक्ष्य और उसकी माँ के बयान से होता है। अभियोजन पक्ष ने उस वृद्ध महिला को प्रस्तुत नहीं किया, जिसने पीड़िता को भोजन दिया था, और पीड़िता ने भी उस वृद्ध महिला को घटना के बारे में नहीं बताया। उपर्युक्त उद्धृत मामले के तथ्य और वर्तमान मामले के तथ्य प्रकृति में भिन्न हैं।

44. परिणामस्वरूप, मुझे दोनों अपीलों (दांडिक अपील क्र. 967/2003 एवं 975/2003) में कोई सार नही दिखता अत:, ये अपीलें खारिज किए जाने योग्य हैं और तदनुसार खारिज की जाती हैं।

सही/-

टी. पी. शर्मा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु

निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Adv. ISHAN SHARMA

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur